

आपका पत्र पढ़ा गया तथा आपकी शिकायत का प्रतिक्रिया  
 दिया। आपके लालच के कारणों में 'दस्तावेज' का  
 प्रमाण 1/10/11 को लालच लिया है प्रमाणित  
 किया गया वही श्रुती गई मिलान किया  
 उचित आदेश है दिनांक 2/09/11 को प्रेषित  
 है।

उपखण्ड अधिकारी, विज्ञान

02  $\frac{09}{22}$

पतापत्ती पेश हुई पतापत्ती में आदेश दिया जाना  
 है वही पूर्व में श्रुती गई पतापत्ती का आवेदन  
 किया गया दस्तावेजों को पदा गया वही पर  
 मगन करके के उपरान्त न्यायालय में यह उचित  
 समझता है की वाद वादी गण रिवलाफ प्रविष्टी कर  
 डिक्री किया जाता है भूमि खतरा नं० 20 खतवा  
 1.35 है, खतरा नं० 21 खतवा 1.56 है कुल  
 किता 02 कुल खतवा 2.91 है वही स्थित  
 मौजा हाम श्रुती प्रमाण में है प्रमाणित गण नं०  
 1/10/11 को दादा धुल्लराम का नाम  
 जमावन्दी के दस्तावेज किया जाकर उक्त भूमि  
 की खेतदारी वादी गण के नाम दर्ज कर  
 खेतदार काश्तकार घोषित किया जा रहा है  
 इसी आधार पर राज्य रिकार्ड में प्रमाणित  
 कर दर्ज करे।

उपखण्ड अधिकारी, विज्ञान

नम्बर  
अहम  
हुकम  
में

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए ।

अतः तहसीलदार चिड़ावा को आदेश है कि  
जो है की पञ्चायत का ठिकाना मिशन  
दिल्ली का सामान्य रिकार्ड में अमल  
कराये । दिखी जा रही पत्राचार  
के शर्त शुमार हिसब बम्बई के काम की जाकर  
दाखिल कराए ।

↓  
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा